उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

अधि. वादी की आपत्ति निरस्त हेतु वादि AD सम्मन तलबाना 07 दिवस में पेश करे पत्रावली दिनांक 14/5/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

14/5/19 अधि. वादी अनुपस्थित। पत्रावली प्रस्तुत। 3 बार अवधि लम्बाई गई परन्तु अनुपस्थित। अतः पत्रावली अथ पैरवी अभाव वादी के खारिज किया जाता है प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर की तिथि खुले न्यायालय में सुनाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)